(178)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 648-तीन/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-2-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 327/2005-06अपील

विधाता प्रसाद पुत्र छोटा बढ़ई
ग्राम हिनोती तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा मध्य प्रदेश हाल पदस्थ
भारतीय सेना 3 राष्ट्रीय रायफल 56 एपीओ
हैड क्वाटर कंपनी सैनिक नं. 13755578 कश्मीर भारत ---आवेदक

विरूद्ध

जगन्नाथ बढ़ई पुत्र रग्धू बढ़ई निवासी
ग्राम हिनोती तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 327/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 45/अ-27/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 से उभय पक्ष के बीच भूमि का बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी

रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 2 अ-27/ 2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-12-2005 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-5-04 निरस्त कर दिया एंव अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्र0क0 327/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-07 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये। सम्यक सूचना के अभाव में पॅजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजा गया, जो मूलरूप में वापिस प्राप्त हुआ । फलस्वरूप अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान से नायव तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के आदेश दि0 24-5-2004 को इन आधारों पर निरस्त किया है आदेश दि0 27-12-05 का पैरा 6 इस प्रकार है :-

" विधाता के व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में जो आवेदन पेश किया गया। उसमें टिकट में तारीख अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय भी तारीख अंकित नहीं किया है। आवेदन में दिनांक 24-12-03 अंकित है । सरपंच हिनौती विन्दीलाल सरपंच ने दिनांक 13-1-04 को पुल्ली आपसी हिस्सा वांट तैयार किया है जिसमें विधाता का हिस्सा बताया गया है परन्तु जगन्नाथ का हिस्सा नहीं बताया गया है । प्रकरण में पक्षकारों को सहमति होना बताया है परन्तु अगर विवाद नहीं था तो सरपंच के व्दारा ग्राम पंचायत से उक्त आदेश क्यों नहीं पारित किया गया ? अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में जो प्रारूप क एंव ख संलग्न है वह सही नहीं है उसमें जारी होने का दिनांक अंकित नहीं है तथा आगामी पेशी भी अंकित नहीं है । जगन्नाथ का कहना है कि उसके फर्जी अंगूठा लगाकर सूचना तामील कराई गई है तथा फर्जी अंगूठा लगाकर न्यायालय में कथन भी कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों एंव प्रकिया का पूर्ण उल्लॅघन किया है "

विचार योग्य है कि यदि अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष फर्जी अॅगूठा लगाकर तामील कराना एंव फर्जी अॅगूठा लगाकर उसके कथन लिपिबद्व कराना बता रहा है तथा नायव तहसीलदार की कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरूद्व थी, प्रकरण इन तथ्यों की विस्तृत जॉच करने तथा भूमि संयुक्त परिवार की है अथवा संयुक्त परिवार की आय के श्रोत से एकल व्यक्ति के नाम है सभी तथ्यों की जॉच करने एंव

उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के लिये तहसील न्यायालय को वापिस करना था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने स्वयं की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने में लापरवाही वरती है एंव अपीलीय न्यायालय के दायित्य का भलीभॉति निर्वहन नहीं किया है क्योंकि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-5-04 को निरस्त कर देने से उभय पक्ष की बटवारे की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इन तथ्यों अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 19-2-07 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विसंगतिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 327/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-07, अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 अ-27/ 2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-12-2005 तथा नायव तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्रकरण 45/अ-27/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में दिये बटवारा नियमों के प्रकाश में पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर